न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 83/2017 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2017/00221

1. पाबूराम पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी गांव पाँचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. श्रीमती फूसी पतनी हुकमाराम जाति जाट निवासी गांव पाँचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।

—रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विनोद कुमार पुरोहित
व श्री गोविन्दराम डूडी — अभिभाषक अपीलांट्स
मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

निर्णय

दिनांक 06.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 01.02.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि वाके रोही पांचू उत्तरी तहसील नोखा के खसरा नंबर 64 में 5.63 हैक्टेयर, खसरा नंवर 65 में 0.05 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 5.68 हैक्टेयर अपीलांट सं. 2 व खसरा नंवर 72 में 4.89 हैक्टेयर रकबा अपीलांट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2017 द्वारा उक्त वादगत भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील पेश की हैं।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अवगत कराया कि तहसीलदार नोखा द्वारा दिनांक 24.01.2017 को पटवारी, गिरदावर द्वारा मौके के विपरीत अपीलांट को नुक़सान पंहुचाने की गरज से व अन्य काश्तकारों के दबाव में आकर रास्ते को अभिलेख में अंकन करने बाबत एक पत्र उपखण्ड अधिकारी नोखा को पेश किया तथा उपखण्ड अधिकारी ने मौके के विपरीत उन प्रस्तावों को आधार बनाकर रास्ते का अंकन करने का आदेश कर दिया। अपीलांट्स के उक्त खेत के उतर पश्चिम दिशा में ग्राम कुम्भासरिया की रोही है, जंहा रास्ता भी चल रहा है। जिन काश्तकारों के दबाव में यह रास्ता स्वीकृत किया गया, उन खेतों में वर्तमान में रास्ता विद्यमान है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से गलत प्रस्तावों के आधार पर रास्ते के संबंध में अव्यवहारिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की गरज से उनकी कृषि भूमि को कम कर दिया, जिसका अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो सही स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के सामने आ जाती। मौके पर रास्ता विद्यमान नहीं है, उसके बावजूद भी जो प्रस्ताव तहसील कार्यालय से उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त हुए उनमें रास्ता बताया हुआ हैं। कानूनन जिस परिपत्र का हवाला दिया जाकर निर्णय प्रदान किया गया हैं, उसमें चालू रास्तों को ही राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के प्रावधान है।

अपीलाधीन आदेश साइक्लोस्टाइल प्रकृति का है, क्योंकि दिनांक 27.01.2017 को कोई निर्णय ही प्रदान नहीं किया गया बिना उस दिनांक को कांटछांट कर दिनां 01.02.2017 का अंकन कर दिया गया है, जबकि इस आदेश को क्रमांक 172 दिनांक 13.01.2017 को तहसीलदार नोखा की पालना हेतु प्रेषित किया गया, का अंकन किया गया है, लेकिन उसमें भी 13.01.2017 के नीचे 01.02.2017 का अंकन कर दिया गया है, जो यह दर्शाता हैं कि उक्त निर्णय बिना माइण्ड अप्लाई किये सरसरी तौर पर साइक्लोस्टाईल के रूप में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत निर्णय के बाद जिन लोगों के दबाव में आकर निर्णय प्रदान किया, उन्हीं लोगों द्वारा जिला कलक्टर बीकानेर व तहसीलदा नोखा को समय—समय पर रास्ते को खोले जाने हेतु शिकायतें की। जिसके क्रम में एक शिकायत में तहसीलदार नोखा द्वारा अपने मौका रिपोर्ट व उसकी छाया प्रति जिला कलक्टर को पेश कर अवगत कराया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कि शिकायतकर्ता मांगीलाल व भूअनि पांचू व हलका पटवारी के साथ स्वयं तहसीलदार ने मौके का निरीक्षण किया व पाया कि जो रास्ता अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा अपीलांट की भूमि में से बनाया है, उस रास्ते के कोई अलामात मौके पर मौजूद नहीं है तथा शिकायतकर्ता ग्राम कुंभासर के निवासी है तथा इनको अपने खेतों में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध हैं और इसी उपलब्ध रास्ते का प्रयोग वे करते आ रहे है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम पांचू से अपने खेतों में आने हेतु रास्ते की मांग का कोई भौतिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना हेतु पुनः लिखा गया, जिस पर तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 13.12.2022 की पालना में पुनः मौका देखा गया। उक्त मौका रिपोर्ट में भी राजस्व नक्शें में तरमीमशुदा मार्ग के रूप में खसरा नंबर 64 के बीच में दर्ज है जो फुसी देवी पत्नि हुकमाराम जाट निवासी पांचू के खाते में दर्ज है, मौके पर खसरा नंबर 64 में सरसों की फसल खड़ी है तथा मार्ग नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा दि. 20.09.2019 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि इस रास्ते को दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान में इसी क्रम में दिनांक 14.05.2025 को एक रिपोर्ट पटवारी हलका द्वारा फिर से तहसीलदार को पेश की गई, जिसमें भी रास्ता वर्तमान में संचालित नहीं हो रहा है। खसरा नंबर 8351/8257 व 8352/8257 में दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार फूसी पत्नि हुकमाराम का दर्ज है लेकिन रास्ता नहीं है। उपरोक्त तीनों ही रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि मौके पर कभी भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं रहा। जब कभी रास्ता नहीं रहा तो अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलांट की कृषि भूमि मे रास्ता कांटे जाने का जो आदेश पारित किया है, वह परिपत्र की भावनाओं के विपरीत होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारों को सुनकर उनके विवादित बिन्दुओं पर निर्णय कर अपना विधिसम्मत निर्णय प्रदान करना होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी हलका व गिरदावर के प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैं:–

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

- आर.आर.डी. 1994 पेज नंबर 289
- आर.आर.डी. 1991 पेज नंबर 364
- AIR 1989 पटना पेज नंबर 364
- AIR 1993 Kant. पेज नंबर 93–B
- आर.आर.डी. 1992 पेज नंबर 598
- आर.आर.डी. 1977 पेज नंबर 668
- AIR 1999 SC पेज नंबर 3381–B

3– राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2017 द्वारा अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों की भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये। अधीनस्थ कार्यालय का उक्त अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नोखा द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों के आधार पर राजस्व अभियान 'न्याय आपके द्वार अभियान' के दौरान राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.09.1956 के द्वारा धारा 131, 132 व 136 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में पारित किया गया हैं, जो न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवज, अधीनस्थ कार्यालय के उपलब्ध अभिलेख व न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2017 पारित कर अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में रास्ता खुलवाने बाबत एक शिकायत जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष पेश होने पर जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा तहसीलदार नोखा को जांच करने हेतु पत्र जारी किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार नोखा द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका को साथ लेकर मौका निरीक्षण किया गया तथा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2019 में उल्लेख किया कि "मौका स्थिति व ग्राम कुम्भासर व पांचु की सीमाओं का मिलान कर नक्शा ट्रेस तैयार किया गया, जिसके अवलोकन से स्वतः ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि परिवादी व्यथित व्यक्ति नहीं है तथा परिवादी द्वारा रास्ते की मांग का कोई औचित्य नहीं हैं।"

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारों को बिना सूचित किये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। साथ ही तहसीलदार (राजस्व) नोखा की जांच रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश द्वारा स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ते की मांग का कोई औचित्य नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2017 न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2017 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले कार्यालयमें सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर राजस्थान